न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट चौरोटी पहाड)

पीठासीन अधिकारी :– *श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.*

अपील सं0 5/5/17	तारीख रजू 14.02.2017	तारीख निर्णय 18.06.2018

उनवान

1. रामप्रसाद पुत्र श्री पांचा जाति चमार (जटिया) निवासी ग्राम चौरोटी पहाड तहसील रामगढ जिला अलवर।

...............अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत बहाला पंचायत समिति रामगढ जिला अलवर राज0 जर्ये सरपंच
2. सन्तु
3. सीताराम
4. रमेश पुत्रांन स्व0 श्री चुन्नीलाल
5. बाबूलाल
6. मंगल
7. बुधसिंह
8. बबलेश पुत्रांन स्व0 श्री लीलाराम
9. तारावती
10. प्रेम
11. बुद्धी
12. फूलबाई पुत्रियान स्व0 लीलाराम
13. पप्पू
14. सुरेश
15. राजेश
16. सिंहराज पुत्रांन स्व0 जुम्मा
17. कैला
18. गुडडी पुत्रियान स्व0 श्री जुम्मा
19. रामजीलाल पुत्रांन श्री पांचा
20. नत्थू पुत्र रूडा जाति चमार (जटिया) निवासी ग्राम चौरोटी पहाड तहसील रामगढ जिला अलवर।

.... रेस्पोडेन्टस्

(अपील अर्न्तगत धारा 75 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम, विरूद्ध आज्ञा ग्राम पंचायत बहाला दिनांक 02.09.1973 इन्तकाल सं0 61 ग्राम बटेसरा)

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का विवरण संक्षेप में इस प्रकार हैं कि गत आराजी खसरा नम्बर 33 मिन रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 72, 73, 74, 75, 76, 77 कायम किये गये है, जो आराजी वाके ग्राम बटेसरा तहसील रामगढ में स्थित है जिस आराजी का रतनलाल पुत्र बिहारीलाल जाति महाजन निवासी ग्राम चौरोटी पहाड तहसील रामगढ जिला अलवर अभिलिखित खातेदार काश्तकार था। उक्त अभिलिखित खातेदार काश्तकार ने अपनी उपरोक्त खातेदारी की आराजी को जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 25.05.1971 के मिन अपीलान्ट व उसके भाई रेस्पा0 सं0 2 ला0 5 को 1/2 हिस्सा व रेस्पा0 सं0 6 को 1/2 हिस्सा को बेचान कर दिया। उक्त बयनामा दिनांक 25.05.1971 के आधार पर अपीलाधीन इन्तकाल ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया है। जो मिन अपीलान्ट व रेस्पा0 सं0 2 ला0 6 के हक में दर्ज व तस्दीक किया गया है। उक्त बयनामा का इन्तकाल दर्ज करते समय पटवारी हल्का व ग्राम पंचायत ने खरीदारान के नामों की सही प्रकार से जांच नही की गई। मिन अपीलान्ट का नाम रामप्रसाद पुत्र पांचा है और मेरे पहचान सम्बन्धी समस्त दस्तावेजात यथा परिवार राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में मेरा नाम रामप्रसाद पुत्र पांचा दर्ज है। और मुझको इसी नाम से जाना पहचाना जाता है। लेकिन इन्तकाल भरते समय मिन अपीलान्ट का नाम रामप्रसाद पुत्र पांचा के बजाय गलती से टुण्डल पुत्र पांचा दर्ज कर दिया गया। जिसे ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया है। उक्त इन्तकाल के कायम रहने से मिन अपीलान्ट के अधिकारों पर विपरीत अर पडता है। इसलिए उक्त इन्तकाल में से मिन अपीलान्ट का जो टुण्डल नाम दर्ज किया गया है उसे कलमजन कर उसके बजाय रामप्रसाद पुत्र पांचा दर्ज कराया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है। जिससे कि उक्त इन्तकाल के आधार पर राजस्व रिकार्ड में किया गया, मेरा नाम टुण्डल का अंकन दुरूस्त होकर रामप्रसाद पुत्र पांचा दर्ज हो सके। उक्त आराजी के अलावा अन्य आराजी खसरा नम्बर हाल 1223 व 1224 कुल किता 2 रकबा 0.37 हैक्ट0 के राजस्व रिकार्ड में भी मिन अपीलान्ट का टुण्डल पुत्र पांचा दर्ज किया गया था। जिस अंकन को कलमजन कर मिन अपीलान्ट का नाम रामप्रसाद पुत्र पांचा दर्ज किये जाने के लिए श्रीमान तहसीलदार रामगढ जिला अलवर के द्वारा दिनांक 10.01.2011 को इन्तकाल सं0 295 ग्राम चौरोटी पहाड तस्दीक किया गया है। जो काबिल

गौर अदालत है। तहत अदालत ने अपीलाधीन आज्ञा खिलाफ तथ्य कानून मौका साक्ष्य प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुए पारित की है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आज्ञा ग्राम पंचायत बहाला पंचायत समिति रामगढ जिला अलवर दिनांक 02.09.1973 इन्तकाल सं0 61 ग्राम बटेसरा तहसील रामगढ जिला अलवर में से मिन अपीलान्ट का जो टुण्डल पुत्र पांचा नाम दर्ज किया गया है, उसे कलमजन कर उसके स्थान पर रामप्रसाद पुत्र पांचा दर्ज करने की आज्ञा सादिर फरमायी जावें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर रेस्पा0 को जर्ये नोटिस तलब किया गया। रेस्पा0 की ओर से विधिवत् तामिल बावजूद न्यायालय में उपस्थित नही हुए।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत चौरोटी पहाड दिनांक 18.06.2018 को पेश हुई। अपीलान्ट उपस्थित। अपीलान्ट को सुना गया तथा रामजीलाल अपीलान्ट का भाई ने अपने बयान दर्ज कराये। जो इस प्रकार है कि रामजीलाल पत्र पांचा जाति जाटव सा0 चोरोटी पहाड (बास) हल्फ से बयान करता हूँ कि हमारा विरासत का नामान्तकरण सं0 328 ग्राम चौरोटी पहाड का दर्ज करते समय मेरा भाई का वास्तविक नाम रामप्रसाद है, जबकि गांव की बोलचाल भाषा में टुण्डल कहते है। नामान्तकरण दर्ज करते समय मेरा भाई का नाम टुण्डल दर्ज कर दिया गया जिसे रामप्रसाद किया जाता है तो हमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नही होगी, जबकि वास्ताव में ही मेरा भाई का नाम रामप्रसाद है। अतः किसी भी प्रकार से भविष्य में कानूनी अडचले आती है या कोई विवाद नाम के सम्बन्ध में होता है तो हम स्वयं उत्तरदायी होगें। उक्त बयान मैने पूरे होश –हवास में दिया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत चौरोटी पहाड में दिनांक 18.06.2018 को अवलोकन किया, अपीलान्ट का नाम रामप्रसाद पुत्र पांचा है जिसकी पुष्टि पहचान सम्बन्धी समस्त दस्तावेजात यथा परिवार

राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में रामप्रसाद पुत्र पांचा दर्ज है। लेकिन इन्तकाल भरते समय अपीलान्ट का नाम रामप्रसाद पुत्र पांचा के बजाय गलती से टुण्डल पुत्र पांचा दर्ज कर दिया गया। जिसे ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया है। उक्त इन्तकाल में अपीलान्ट का जो टुण्डल नाम दर्ज किया गया है उसे कलमजन कर उसके बजाय रामप्रसाद पुत्र पांचा दर्ज किया जाना उचित है। अपीलान्ट के भाई रामजीलाल ने भी अपने बयानों में बताया है कि हमारा विरासत का नामान्तकरण सं0 328 ग्राम चौरोटी पहाड का दर्ज करते समय मेरा भाई का वास्तविक नाम रामप्रसाद है, जबकि गांव की बोलचाल भाषा में टुण्डल कहते है। नामान्तकरण दर्ज करते समय मेरा भाई का नाम टुण्डल दर्ज कर दिया गया जिसे रामप्रसाद किया जाता है तो हमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नही होगी, जबकि वास्ताव में ही मेरा भाई का नाम रामप्रसाद है। अतः नाम की दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद स्वीकार की जाती हैं एवं इन्तकाल संख्या 61 दिनांक 02.09.1973 ग्राम बटेसरा ग्राम पंचायत बहाला तहसील रामगढ़ का निर्णय निरस्त किया जाता हैं। प्रकरण तहसीलदार रामगढ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि टुण्डल पुत्र पांचा नाम कलमजन कर उसके स्थान पर रामप्रसाद पुत्र पांचा दर्ज करते हुए नये सिरे से नामान्तकरण की कार्यवाही करें। निर्णय प्रति तहसीलदार रामगढ़ को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 18.06.2018 को लोक अदालत / कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत चौरोटी पहाड मजमेआम में सुनाया गया।

(बाल कृष्ण तिवाडी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)